

विभाग का नाम :-खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :- आठवां तल, मयुर भवन, कौंट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

तारांकित प्रश्न संख्या :- 98-तारांकित

दिनांक:- 10-08-2018

प्रश्नकर्ता का नाम :-सुश्री अलका लाम्बा

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर
क	गलियों में अस्वास्थ्यकर स्थितियों में मोमोज जैसे खाद्य पदार्थ बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं,	गलियों में अस्वास्थ्यकर स्थितियों में मोमोज जैसे खाद्य पदार्थ बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के विरुद्ध विभाग द्वारा उठाये जा रहे कदम निम्न हैं:- 1. विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य संरक्षा का लाईसेंस अथवा पंजीकृत किया जाता है। 2. विभाग द्वारा समय-समय पर इन खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए नमूने लिए जाते हैं।
ख	खुले में अस्वास्थ्यकर स्थितियों में फल एवं जूस बेचने वालों के कारण होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं,	उपरोक्त 'क' के अनुसार।
ग	इस संबंध में विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है,	खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा पिछले तीन सालों में मोमोज जैसे खाद्य पदार्थों के 34 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 4 नमूने फेल पाये गए। उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत न्यायालय में शिकायत दर्ज कर दी गई है।
घ	दूध/खोया एवं अन्य दुग्ध उत्पाद बेचने वाली दुकानों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है,	दूध/खोया एवं अन्य दुग्ध उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच के लिए विभाग द्वारा विगत तीन साल में 884 नमूने जांच के लिए उठाये गए। जांच के बाद 148 नमूने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के मानक के अनुसार नहीं पाए गए और दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की गई है।
ङ	चांदनी चौक विधान सभा में कितने जन आहार केन्द्र चल रहे हैं,	चांदनी चौक विधानसभा में 6 जन आहार केन्द्र चल रहे हैं।
च	कितने जन आहार केन्द्र बंद कर दिए गए हैं और	दो जन आहार केन्द्र बंद कर दिए गए हैं।
छ	इन्हें बंद किए जाने के क्या कारण हैं?	कम बिक्री के कारण दो जन आहार केन्द्रों को बंद कर दिया गया है।